



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233032
CG-DL-E-01022022-233032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]
No. 84]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 10/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्र. सं. 20ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्र.सं. 38क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“38ख	4101	भैंस की कच्ची खाल और चर्म	30%” ;

(iii) क्र. सं. 63, 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 27/2011 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्यांक 27/2019 सीमाशुल्क तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा अंतिमवार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 484(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 10/2022-Customs

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011-Customs dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the Table,

- (i) S. No. 20B and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) after S. No. 38A and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“38B.	4101	Raw hides and skins of buffalo	30%”;

- (iii) S. Nos. 63, 64 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into effect on the 2nd day of February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification No. 27/2019-Customs, dated the 6th July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 484(E), dated the 6th July, 2019.